न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 21/2009 G.C.M.S. No. 2009/00035 दर्ज दिनांक : 28.10.2009

अपीलार्थिगण:

1. घीसाराम पुत्र रामाराम
2. नारायणलाल पुत्र धना
3. देवाराम पुत्र छोगा
4. साकलाराम पुत्र गलबा
5. धरमाराम पुत्र रामा
6. नारायणलाल पुत्र भगा
7. रमेशकुमार पुत्र भुराराम
8. नारायणलाल पुत्र खीमा
9. शंकरलाल पुत्र पुना
10. तोलाराम पुत्र कसना
11. मोहनलाल पुत्र मांगीलाल
12. भंवरराम पुत्र अना
13. बाबुलाल पुत्र किशना
14. चन्दुराम पुत्र अना
15. तोलाराम पुत्र सेरा
16. जीवाराम पुत्र लाला
17. सकाराम पुत्र चुनाराम, तमाम जातिगण कीर, निवासीगण ग्राम दुदनी, तहसील बाली व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी बाली, तहसील बाली व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 12(2) () राज/2009/1815 दिनांक 21.10.2009

पैरोकार:–

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 12(2) () राज/2009/1815 दिनांक 21.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 14–10–2008 को उपखण्ड अधिकारी बाली व सलाहकार कमेटी द्वारा तीन वर्ष के लिये गावं दुदनी में अस्थाई आवंटन किया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

गया था। जब आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया, तो दिनांक 21–10–2009 को आवंटन आदेश खारिज करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी बाली को नहीं था। न ही नियमों में उपखण्ड अधिकारी को आवंटन आदेश निरस्त करने के अधिकार ही दिये हैं। कलेक्टर, पाली के प्रशासनिक पत्र दिनांक 14–10–2009 अस्थाई आवंटन निरस्त करने के सम्बन्ध में है, जो उपखण्ड अधिकारी बाली व तहसीलदार बाली को प्रेषित किये गये है व तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 21–10–2009 को अस्थाई आवंटन निरस्त की अनुषंशा की, जब प्रशासनिक अधिकारी के इस प्रकार के पत्राचार के द्वारा जो कार्यवाही की गई है, वो भू–राजस्व अधिनियम व भू–राजस्व नियमों के विरूद्ध है। क्योंकि उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा किसी भी प्रकार से कोई स्वतंत्र जांच के द्वारा विचारण कर निर्णय पारित नहीं किया गया है। आवंटन आदेश दिनांक 14–10–2008 को आवंटन निरस्त करना ही था, तो वह अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार से कोई गलती की गई, या नहीं व शर्तों को भंग किया या नहीं, उस सम्बन्ध में अपीलान्टगण को आवश्यक रूप से विधिक नोटिस पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर, दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहीए था, अपीलान्टगण को ना तो जबाव प्रस्तुत करने का न ही दस्तावेजी सबूत पेश करने का अवसर दिया, न ही पिडित पक्ष के रूप में अपीलान्टगण को पक्ष रखने का समय ही दिया, बाले–बाले कार्यवाही कर आवंटन आदेश अपीलान्टगण का खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट को उपखण्ड अधिकारी को कार्यवाही किये जाने से पूर्व भू–आवंटन नियम 1970 के अनुसार जाँच की जानी चाहिए थी व नैचुरल जस्टीस के अनुसार पक्षकार बनाकर प्रकरण दर्ज कर तमाम साक्ष्य सबुत प्राप्त कर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। जो ना कर एक ही दिन मे तहसीलदार बाली के अनुषंशा के प्रार्थना पत्र के आधार पर आदेश जैर अपील पारित कर दिया है, जो आदेश नेचुरल जस्टीस के व कानून के विरूद्ध है। अपीलान्टगण को जवाई बाध के आरक्षित पानी का कृषि में उपयोग करने का इल्जाम दर्ज किया गया, जो वास्तविक परिस्थिति के विरूद्ध है, क्योंकि पानी आरक्षित कृषि हेतु प्राप्त करना सम्भव ही नहीं हैं। अपीलान्टगण जिस जगह काबिज है, उस जगह से अपीलान्टगण की आवंटित भूमि व आरक्षित भूमि के बीच में करीब 1.5 किलो मीटर फासला है व इस फासले के अन्दर अन्य कई व्यक्तियों की आवंटित भूमि व फसले आई हुई हैं, जब उसके द्वारा इसी प्रकार से पानी का उपयोग किया जाना जाहिर नहीं हैं। तो क्यों कर अपीलान्टगण के द्वारा पानी का उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि पानी की आवक इस 1.5 किलो मीटर के फासले से ही सम्भव है व इन व्यक्ति के बीच पानी प्राप्त होना साबित व सम्भव ही नहीं हैं, न ही इस सम्बन्ध में सबूत पेश करने के लिये अपीलान्टगण को ही सुना है तो बिना तथ्यों की जानकारी प्राप्त किये बगैर जो आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जैर अपील उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया है। वो आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी बाली द्वारा आदेश क्रमांक 1815 दिनांक 21.10.2009 द्वारा दिनांक 08.10.2008 को अपीलांट्स के पक्ष में राजस्थान भू–राजस्व (तालाब तले की भूमियां कृषि हेतु आवंटन) नियम 1961 के तहत 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया अस्थाई आवंटन निरस्त किया गया. के विरूद्ध अपीलांट हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने के आवेदन के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स के विरूद्ध पारित किया गया है तथा अपीलांट्स प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार है। लिहाजा, आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

3. पत्रावली पर उपलब्ध अस्थाई आवंटन आदेश दिनांक 14.10.2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स को खसरा संख्या 306 व 321 क्रमशः पेटा तालाबी एवं गैर मुमकिन नदी भूमि में 3 वर्ष के लिए सशर्त अस्थाई आवंटन आदेश किया गया तथा आवंटियों को बांध का पानी सिंचाई के लिए काम में नहीं लेने हेतु पाबंद किया गया।
4. प्रकरण में अधिशाषी अभियंता जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर द्वारा पत्रांक 4679 दिनांक 12.10.2009 द्वारा जिला कलक्टर को अवगत करवाया गया कि जवाई बांध में पेटा काश्त हेतु अस्थाई आवंटियों द्वारा सिंचाई हेतु जवाई बांध से पानी लेकर आवंटन आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस पर जिला कलक्टर पाली द्वारा पत्र दिनांक 14.10.2009 द्वारा उपखंड अधिकारी बाली को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार पाली द्वारा उपखंड अधिकारी पाली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स अस्थाई आवंटियों द्वारा जवाई बांध का पानी सिंचाई हेतु उपयोग में लेने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने से अस्थाई आवंटन निरस्त किये जाने की सूची मय अभिशंषा प्रस्तुत की गई। जिसके आधार पर उपखंड अधिकारी बाली द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्थाई आवंटन निरस्त किया गया।
5. हमारे विनम्र मत में प्रथम तो अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 14.10.2008 को किया गया अस्थाई आवंटन केवल 3 वर्ष के लिए किया गया था। उक्त अवधि गुजर चुकी हैं। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाली

ऐसी स्थिति में दिनांक 21.10.2009 के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हस्तगत अपील अपने आप ही प्रभावहीन हो चुकी हैं। अतः इस स्तर पर अपीलांट्स का यह कथन कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना व स्वतंत्र जांच करवाए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, सारवान रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रकरण में सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक जांच उपरांत जिला कलक्टर को लिखित में अवगत करवाया गया तथा तहसीलदार बाली द्वारा भी पृथक से जांच की गई।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से इसी स्तर खारिज किया जाना, पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली